



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231032
CG-DL-E-11112021-231032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943

No. 334]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

सं. 36/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 1क में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/80/एम-16/पी.सी-2(ख)/ई-2418.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा डीजीएफटी के निम्नलिखित क्षेत्रीय प्राधिकारियों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में संशोधन करके विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 1क में संशोधन करते हैं:

परिशिष्ट 1क में क्रम सं.	क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम और पता	मौजूदा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संशोधित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
13	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार 11/ए, गवर्मेन्ट एम. एस. बिल्डिंग, ओल्ड सिटी, लाल दरवाजा, अहमदाबाद, गुजरात-380001	गुजरात राज्य, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो क्षेत्रीय प्राधिकारी राजकोट, वडोदरा, सूरत और विकास आयुक्त केएफटीजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।	गुजरात राज्य, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो राजकोट, वडोदरा, सूरत और विकास आयुक्त केएफटीजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं [नवसारी और तापी जिलों को क्षेत्रीय प्राधिकारी सूरत को स्थानांतरित कर दिए गए हैं]।

16	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार रेशम भवन, छठा तल, लाल दरवाजा, स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, वराछा सूरत, गुजरात 395008	गुजरात के जिले: (i) सूरत (ii) वलसाड़ और (iii) डांग	गुजरात के जिले: (i) सूरत (ii) वलसाड़ (iii) डांग (iv) नवसारी और (v) तापी
----	--	---	--

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

गुजरात के नवसारी और तापी जिलों को तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय प्राधिकारी, अहमदाबाद के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से क्षेत्रीय प्राधिकारी, सूरत को स्थानांतरित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th November, 2021

No. 36/2015-2020

Subject: Amendment in Appendix 1A of Foreign Trade Policy, 2015-20 – reg.

F. No. 01/93/180/80/AM-16/PC-2(B)/E-2418.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendments in Appendix 1A of FTP -2015-20 by revising the territorial jurisdiction of the following Regional Authorities of DGFT:

S.No. in Appendix 1A	Name of the Regional Authority and address	Existing Territorial Jurisdiction	Revised Territorial Jurisdiction
13.	The Addl. Director of Foreign Trade 11/A Govt. M. S. Building Old City, Lal Darwaja, Ahmedabad, Gujarat 380001	Gujarat State excluding the areas which are under the jurisdiction of Regional Authorities, Rajkot, Vadodara, Surat and Development Commissioner KFTZ	Gujarat State excluding the areas which are under the jurisdiction of Rajkot, Vadodara, Surat and Development Commissioner KFTZ. [<i>Navsari and Tapi districts have been moved to RA, Surat</i>].
16.	The Joint Director General of Foreign Trade Resham Bhavan 6th floor, Lal Darwaja Station Rd, Lal Darwaja, Varachha, Surat, Gujarat 395008	Districts of Gujarat: (i) Surat (ii) Valsad and (iii) Dangs	Districts of Gujarat: (i) Surat (ii) Valsad (iii) Dangs (iv) Navsari and (v) Tapi

2. Effect of this Public Notice:

Navsari and Tapi districts of Gujarat have been moved from territorial jurisdiction of RA, Ahmedabad to RA, Surat with immediate effect.

AMIT YADAV, Director General, Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.